Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to set up bench of Allahabad High Court in Western Uttar Pradesh.

डॉ. संजीव बालियान (मुजफ्फरनगर): माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की करीब 22 करोड़ आबादी में से 8 करोड़ आबादी पश्चिम उत्तर प्रदेश में निवास करती है। करीब 22 जनपद पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। आज आपके समक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनता का दर्द मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने बयान करना चाहता हूं। सौभाग्य की बात है कि देश के गृह मंत्री और हमारे नेता श्री राजनाथ सिंह जी भी यहां पर मौजूद हैं। हमारा हाई कोर्ट इलाहाबाद में पड़ता है। करीब 15 लाख मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं जिनमें से करीब 52 प्रतिशत के लिए आप कह सकती हैं कि 7.5 लाख पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की दूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश से करीब 700-750 कि.मी. पड़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जनपद मुजफ्फरनगर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट नजदीक पड़ते हैं और यहां तक कि मेरे जनपद से लाहौर हाई कोर्ट की दूरी भी 500 कि.मी. है लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की दूरी 700 कि.मी. है। यह कोई आज की मांग नहीं है। महाराष्ट्र में जहां जनसंख्या 8 करोड़ है, वहां पर तीन बेंच है, एक हाई कोर्ट है। मध्य प्रदेश में 7 करोड़ की आबादी पर 1 हाई कोर्ट और 2 बेंच हैं। कर्नाटक में 6 करोड़ की आबादी पर 3 बेंच और 1 हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी पर मात्र 1 बेंच है और वह भी लखनऊ में है। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 कि.मी. है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की दूरी 700 कि.मी. है। जब-जब यह मांग उठी है, यह संसद में तीसरी पीढ़ी है जो इस मांग को उठा रही है। कहीं न कहीं जनता का विश्वास अपने जन-प्रतिनिधियों के ऊपर से अब डगमगाने लगा है क्योंकि हम यहां मांग उठाते हैं और मांग पूरी नहीं होती। जब जनता का विश्वास लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों पर से उठता है तो आंदोलन होते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि बार-बार जो फुटबाल की तरह

पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या 10,000 वकीलों के लिए 8 करोड़ जनता का गला घोंटा जा सकता है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र अग्रवाल और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. संजीव बालियान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात अब पूरी हो गयी है। ऐसा नहीं होता। इतना नहीं बोलते। अब आप बैठिए।

… (*Interruptions*)